भामाशाह योजना

राजस्थान राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण, वित्तीय समावेशन एवं राजकीय सेवाओ के लाभ सीधे व पारदर्शी रूप से वितरण हेतु वर्ष 2008 में भामाशाह योजना लागू की गई थी । इस योजना को 15 अगस्त 2014 को वृहद रूप में पुनः संरचित कर प्रारंभ किया गया है । यह योजना, सभी सरकारी योजनाओं के नगद एवं गैर नगद लाभ के सीधे व पारदर्शी रुप से वितरण की देश में पहली योजना है ।

यह योजना परिवार को आधार मानकर उनके वित्तीय समावेश के लक्ष्य को पूरा करती है, जहाँ हर परिवार को 'भामाशाह कार्ड' दिया जाता है, जो उसके बैंक खाते से जुड़ा होता है । यह बैंक खाता परिवार की महिला मुखिया के नाम से होता है और वही इस खाते की राशि को परिवार के हित में उचित उपयोग कर सकती है । यह कार्ड बायो-मैट्रिक पहचान सहित कोर बैंकिंग को सुनिश्चित करता है।

ऐसे क्षेत्र जहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है वहां बैंकिंग संवादकर्ता/ई मित्र पर किओस्क मोडल/माइक्रो एटीएम की सुविधा सुनिश्चित की गई है, ताकि लाभार्थी को घर के नजदीक बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो सके ।

इस योजना में चरणबद्ध रूप से लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों यथा राशन वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, नरेगा भुगतान, छात्रवृत्तियाँ, जननी सुरक्षा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि के लाभार्थियों को भामाशाह प्लेटफार्म के माध्यम से सीधे व पारदर्शी रूप से लाभ वितरित किये जा रहे हैं ।